

**झारखण्ड सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-03/2024) में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु Online आवेदन-पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र Upload करने संबंधी आवश्यक अनुदेश।**

- (i) मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।  
(ii) अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी दो वैकल्पिक विषय का चयन किया जायेगा, प्रत्येक वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे। वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात् वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन One Time Registration (OTR) System (<https://jpscotr.com>) के माध्यम से भरे जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तृत विज्ञापन एवं Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निदेश का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे। यह आवेदन-पत्र का Link आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- Online आवेदन भरने की तिथि दिनांक-15.03.2026 से दिनांक-19.03.2026 समय 5:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।
- ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-28.03.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी), झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों-हाथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर **विज्ञापन संख्या-03/2024 Registration number** तथा परीक्षा का नाम यथा **झारखण्ड सहायक वन संरक्षक मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-03/2024)** मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- Online आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये आयोग के Helpline No. **8929883832** एवं [helpdesk@jpscotr.com](mailto:helpdesk@jpscotr.com) पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
- Online आवेदन भरे जाने के लिये अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध One Time Registration (OTR) के Link (<https://jpscotr.com>) अपना E-mail id/ Phone number/Candidate id एवं Password डालकर Login करेंगे। Login करने के बाद Step-1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किये गये विवरणी Start/View Application Button पर Click कर देख सकेंगे, तत्पश्चात् Step-2 में मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण अंकित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अभिलेख/प्रमाण-पत्र का Scan Copy PDF File में Upload करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निदेश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु Online आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकतानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र Upload किया जाना अनिवार्य है।
  - मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किये गये दावे के संबंध में तत्संबंधी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  - विभिन्न कोटियों (Female, EWS, EBC-I, BC-II, SC, ST, Sports) के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करेंगे।
  - मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में अंकित किये गये कोटि यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (EBC-I), पिछड़ा वर्ग-II (BC-II), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के दावे के संबंध में निर्गत विज्ञापन की कंडिका-9 के अनुसार तत्संबंधी प्रमाण-पत्र Upload करना अनिवार्य होगा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-4258, दिनांक-30.05.2019 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में जाति प्रमाण-पत्र भी लागू होगा।
  - मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले Online आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गये Online आवेदन में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण-पत्र Upload करना अनिवार्य होगा।
- अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख/प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- Online आवेदन में दी गयी सूचना एवं Upload किये गये अभिलेख/प्रमाण-पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने या प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

10. इन्टरनेट व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
11. हॉर्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हॉर्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह0/–

परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।